

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-प.4(3)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक : 27/1/21

—: आदेश :-

श्रीमति अल्पा चौधरी आर.ए.एस सदस्य सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग जयपुर, को 24 विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2001 द्वारा राजकीय आवास स0 ई-733 गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया गया था, जिसमें श्रीमति चौधरी दिनांक 25.02.01 से निवासरत है।

श्रीमति अल्पा चौधरी द्वारा दिनांक 02.07.2020 को स्वयं का निजी आवास क्रय कर लिए जाने पर उनकी प्रार्थना पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 9(4)(III) के प्रावधानांतर्गत उक्त राजकीय आवास संख्या ई-733, गांधीनगर में दिनांक 02.07.2020 से साधारण किराया का तीन गुना दर से निवास की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग, जयपुर।
3. श्रीमती अल्पा चौधरी आर.ए.एस सदस्य सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल